न्यायालय :— उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)
पीठासीन अधिकारी श्री सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सख्या 217/2024

निर्णय दिनांक :— 28.06.2024

बाबुसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी चंगोई तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तारानगर जिला चूरू

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

उपस्थित :—

(1) श्री अनिल कुमार स्वामी तारानगर एडवोकेट वास्ते प्रार्थी।

(2) राजपैरोकार वास्ते अप्रार्थी।

—: निर्णय :—

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 एल.आर. एक्ट इस आशय का पेश किया कि भूमि ख. नं. 651/137 तादादी 0.2529 हैक्टेयर वाके रोही भूरावास तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित है जो प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है जिस पर प्रार्थी काबिज काश्तकार है। यही विवादित भूमि है।

उक्त भूमि भूरावास तहसील तारानगर जिला चूरू की रोही में स्थित है उक्त भूमि के पड़ौसियान वगैरह हमेशा सींव बाबत प्रार्थी के साथ झगड़ा फसाद करते रहते है जिस कारण प्रार्थी अपने खेत के चारों और बाड़ वगैरह सही ढंग से नहीं कर सकता है ना ही अपने खेत को सुधार सकता है व उक्त भूमि गांव के निकट होने से आवारा पशुओं का खेत में घुसने व फसल को नष्ट करने का खतरा हमेशा बना रहता है प्रार्थी की भूमि मौका पर कम भी हो गई है। इसलिए प्रार्थी अपनी भूमि की पैमाईश करवाना चाहता है। प्रार्थी अपनी भूमि के चारों और निशानदेही लेकर पत्थर गढ़ी करवाना चाहता है जिस बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी अपनी उक्त भूमि ख. नं. 651ध137 तादादी 0.2529 हैक्टेयर वाके रोही भूरावास तहसील तारानगर जिला चूरू की पैमाईश करवाकर पत्थर गढ़ी करवाने का कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थी ने दिनांक 18.12.2023 को अप्रार्थी को लिखित में सीमा ज्ञान का प्रार्थना—पत्र दिया व कहा कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पैमाइश करवाई जाकर पत्थर गढ़ी का आदेश प्रदान करें। परन्तु अप्रार्थी आनाकानी करता रहा है तथा प्रार्थी को अप्रार्थी ने कहा कि न्यायालय से आदेश होने पर ही तुम्हारे उक्त खेत की पत्थर गढ़ी करेंगे प्रार्थी को उपरोक्त विनाय तारीख ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का हक अधिकार व कारण हासिल है। आदि आदि।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी कृषि भूमि ख. नं. 651/137 तादादी 0.2529 हैक्टेयर वाके रोही भूरावास तहसील तारानगर जिला चूरू

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर(चूरू)

न स्थित खातेदारों को नोटिस जारी कर भूमि की भू-राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित कर पैमाइश करवाकर पत्थर गढ़ी का आदेश अप्रार्थी को अलग से जारी किया जावें। इस प्रकार प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी उक्त भूमि के सीमाओं के सीमा चिन्ह कायम कराने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से राजपैरोकार उपस्थित। उन्होने जाहिर किया कि प्रकरण में राज्यहित प्रभवित नहीं होता है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन पेश नही हुआ।

बहस प्रार्थी की सुनी गई। प्रार्थी ने बहस में प्रार्थनापत्र के तथ्यों को ही दौहराते हुये विवादित भूमि की पत्थरगढी कराने का निवेदन किया। प्रार्थी की बहस पर गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी खेत ख. नं. 651/137 तादादी 0.2529 हैक्टेयर वाके रोही भूरावास तहसील तारानगर जिला चूरू का रिकॉर्ड खातेदार है। प्रार्थी अपने खेत की सुरक्षा के लिए चारो ओर निशानदेही देकर सीमा चिन्ह करवाना चाहते है। प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी से किसी भी पक्ष को कोई नुकसान नहीं होगा। प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन भी पेश नहीं हुआ हैं।

वर्णित विवेचन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है अतः स्वीकार किया जाकर है तथा प्रार्थी के खेत ख. नं. 651/137 तादादी 0.2529 हैक्टेयर वाके रोही भूरावास तहसील तारानगर जिला चूरू के सीमाचिन्ह राजस्व नक्शा के मुताबिक कायम कराने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार तारानगर को आदेशित किया जाता है कि वह पैमाईश में दक्ष कार्मिकों टीम गठित कर स्वयं या नायब तहसीलदार के निर्देशन में पडौसी खातेदारों को उपस्थिति का अवसर देते हुये उक्त खेत के सीमाचिन्ह कायम करावे। समस्त खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। निर्णय की एक प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार को पालनार्थ भेजी जावें।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)